सेवा में,
एस० एच० ओ०,
चौक पुलिस थाना, दालमण्डी रोड
वाराणसी – 221001
उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष – 05422413777
सचलभाष– 9454404383

संदर्भ: एफ आई आर अंतर्गत धारा 295 ए, 406, 409, 419, 420, 427, 465, 467, 468, 469, 471, 474, 500, 504, 505, 34, 109 और 120-बी भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा धारा 66-डी 72 एवं 72ए सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 विरुद्ध

1. गोविंदानंद सरस्वती स्वामी जो कभी-कभी ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिर्मठ - बदरिकाश्रम और शारदामठ - द्वारका के पुत्र और कभी-कभी उनके दंडी संन्यासी शिष्य के रूप में प्रतिरूपण करते हैं; निवासी हाउस नंबर 249, द्वितीय वार्ड, श्री क्षेत्र स्वर्ण हम्पी, हम्पी, वीटीसी: हम्पी, पी.ओ. हम्पी, होस्पेट टी.क्यू, जिला: (बेल्लारी), विजयनगर, राज्य: कर्नाटक-583239 (मोबाइल नंबर 9571725898)।

2. हिन्दू लीगल राइट प्रोटेक्सन फोरम, एक फर्म वजरिए संस्थापक स्वामी गोविंदानंद सरस्वती संपर्क कार्यालय है;

(i). एस-5, नंबर 1, द्वितीय तल, थिम्मैया चेम्बर्स, प्रथम क्रॉस, गांधीनगर, बेंगलुरु-560009;

(ii). ई-131, बी.के. दत्त कॉलोनी, लोधी रोड, नई दिल्ली

ईमेल आईडी: hindulegalrights@gmail.com

3. अंशुल चौहान, वरिष्ठ प्रबंधक केनरा बैंक, चौक शाखा, आनंद बाजार, गोदोलिया, चौक, वाराणसी -221001, उत्तर प्रदेश, भारत। आई एफ एस सी कोड CNRB0018752, डी पी कोड -18752
मोबाइल नंबर 9044054372 ईमेल आईडी: cb18752@canarabank.com

4. शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक, एम० डी० रोड शाखा, १२ एम०डी० रोड, कोलकाता 70007, पश्चिम बंगाल, भारत, आई एफ एस सी कोड CNRB00000252, डी पी कोड -0253, दूरभाष – 8334999304, ईमेल आईडी: cb0253 @canarabank.com

5. केनरा बैंक, पंजीकृत कार्यालय & मुख्यालय 112, जे. सी. रोड. बेंगलुरू , कर्नाटक -560002

दूरभाष – 080-22100250, 080-22221581, ईमेल आईडी: hosecretarial@canarabank.com वजरिए मुख्यकार्याधिकारी & मुख्य कार्य अधिकारी।

6. केनरा बैंक के अन्य अज्ञात अधिकारी व स्वामी गोविंदानंद सरस्वती के अन्य अज्ञात अपराध सहयोगी।

महोदय

1. आरोपी संख्या 1 स्वामी गोविंदानंद सरस्वती एक बहुरूपिया और ढोंगी व्यक्ति है जो यह भलीभांति जानते हुए भी कि वह ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का दंडी संन्यासी नहीं हैं परंतु फर्जी दस्तावेजों को निर्मित करके अपने आधार पत्र संख्या ... में स्वयं को उनका "एस /ओ" लिखवाकर, जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, ज्योतिष्पीठ बदरिकाश्रम और उनसे तथा ज्योतिर्मठ से हितबद्ध धार्मिक वर्ग / समूह के हितों को ज्योतिष्पीठ सेवा समिति, तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के तर्ज पर श्री हनुमात जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का फर्जी दस्तावेजों के द्वारा गठन करके इस प्रकार के प्रतिरूपण द्वारा छल करके जहां एक ओर आस्थावान हिंदुओं को बेमानी से संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित कर ठग रहा है वहीं दूसरी ओर ज्योतिर्मठ के धन जंगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने के प्राधिकार के निमित्त कूट दस्तावेजों की विविध अधिकारियों से तात्पर्यित पत्राचार कर फर्जी सृजित किया है और दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की यह कूट रचना उसने इस आशय से भी किया है कि यह छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी।

2. जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज शारदा मठ - द्वारका के भी जगतगुरु शंकराचार्य थे। उन्होंने दिनांक 01.02.2017 को अपनी वसीयत / इच्छापत्र लिखा । उक्त इच्छा पत्र में उन्होंने लिखाहै कि अपने जीवन काल मेंउन्होंने अपने ब्रह्मचारी शिष्यों में से मात्र तीन शिष्यों को दंड संन्यास कीदीक्षा दी थी । जिनमें से स्वामी सदानंद सरस्वती को उन्होंने अपने शारदा मठ द्वारका के उत्तराधिकारी जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में तथा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को ज्योर्तिमठ बदरिकाश्रम के उत्तराधिकारी जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में दंड संन्यास की दीक्षा दी थी। उन्होंने स्वामी रामरक्षानंदसरस्वती जी को अन्य कारणों से दंड संन्यास की दीक्षा दी थी जो कि उक्त वसीयत लिखने के पूर्व ही ब्रह्मलीन हो चुके थे। वह वसीयत रजिस्ट्रेशन एक्ट,1908 की धारा 41 के अंतर्गत पुस्तक संख्या ए 3 में खंड 18 के पृष्ठ 29 से 53 पर उपनिबंधक नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत

की गई है। इसी तथ्य को उन जगद्गुरु जी ने अपने हस्ताक्षरित पत्र दिनांकित 01.07.2021 में भी दुहराया है।

3. श्री बंसीधर संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी के प्राचार्य आचार्य अवध राम पांडे ने अपने शपथ पत्र दिनांकित 18.07.2023 में यह कहा है कि उनके पुरोहितत्व के में, स्वामी गोविंदानंद सरस्वती को श्री स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी द्वारा 10 फरवरी 2013 को दंड संन्यास दिया गया था।

4. 7 दिसम्बर 1973 को जब स्वामी स्वरूपानन्द सरस्वती जी ज्योतिर्मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य बने तब से दिनांक 11.09.2022 के दिन उनके ब्रह्मलीन होने तक उनके निजी सचिव रहे उनके नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्यों - श्री सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारी धरणनांद ने भी अपने अपने पृथक पृथक शपथपत्र दिनांकित 25.07.2023 में कहा है कि स्वामी गोविंदनंद सरस्वती ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य जी का शिष्य नहीं है बल्कि वह श्री स्वामी अमृतानंद सरस्वती का शिष्य है; ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य के मात्र दो ही दंडी सन्यासी शिष्य हैं वे हैं जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज तथा जगतगुरु शंकराचार्य शारदापीठाधीश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज। ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य की सेवा में दीर्घ काल से उनके ब्रह्मलीन होने तक रहे उनके दीक्षित नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य श्री सारदानंद ब्रह्मचारी तथा पूर्णाभिषिक्त शिष्य साध्वी पूर्णम्बा जी ने भी अपने अपने अपने पृथक पृथक शपथपत्र दिनांकित 25.07.2023 में कहा है कि ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य के मात्र दो ही दंडी सन्यासी शिष्य हैं वे हैं जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज तथा जगतगुरु शंकराचार्य शारदापीठाधीश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज। ये सभी शपथ पत्र सी ए नंबर 3010/2020 में संबंधित आवेदनों में संलग्नकों के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत में प्रस्तुत किये गए हैं।

5. 2010 ए डी जे 1 (स्पेशल .एफ.बी.) में मल्होत्रा ला हाउस इलाहाबाद (संप्रति प्रयाग) द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित श्री रामजन्मभूमि बाबरी-मस्जिद, अयोध्या विवाद सुन्नी सेंट्रल बोर्ड बनाम श्री गोपाल सिंह विशारद के 4304 पृष्ठ के माननीय इलाहाबाद न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के फैसले में स्वामी गोविंदनंद सरस्वती का कहीं नाम नहीं है; जबकि माननीय न्यायाधीश सुधीर अग्रवाल ने बहुमत का मत व्यक्त करते हुए अपने फैसले के पैराग्राफ 437-438 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती की शैक्षिक और अन्य योग्यताओं का उल्लेख करते हुए विशेषरूप से यह भी दर्ज किया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती , ज्योतिष्पीठाधीश्वर और द्वारिका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य हैं। उसमें यह भी दर्ज है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से जो की धार्मिक विशेषज्ञ साक्षी के रूप में प्रतिवादी संख्या 20 श्री रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से वर्ष 2005 में

अर्थात ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकरचार्य जी के जीवन काल में साक्ष्य दिया था उनसे विभिन्न पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा 13 दिनों तक 10 द्वारा जिरह की गई थी।

6. इसी प्रकार से श्री रामजन्मभूमि बाबरी-मस्जिद, अयोध्या विवाद पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने AIR 2019 SC (सप्प) 1761 में रिपोर्टेड एम. सिद्दीक (डी) थ्रू एलआरएस बनाम महंत सुरेश दास और अन्य पर दिए गए अपने फैसले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिन्हें अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति द्वारा धार्मिक मामलों में विशेषज्ञ गवाह के रूप में पेश किया गया के साक्ष्य को पैराग्राफ संख्या 44, 282, 549, 553, 555,841,848,852,853,854 व 878 में उद्धृत कर उसकी विवेचना कर यह निष्कर्ष निकाल है की इन गवाह ने अपने साक्ष्य से यह असंदिग्ध रूप से यह प्रमाणित कर दिया है कि विवादित स्थल ही श्री राम जन्मभूमि हैं।

7. छली प्रवंचक प्रतिरूपण करने वाला ठग स्वामी गोविंदानंद लिखित और मौखिक रूप से जानबूझ कर उनपर प्रभाव जमाकर बेईमानी से धनप्राप्त करने के आशय से यह झूठ बोल कर ठगी करता है की वह श्री रामसेतु की सेवा करते समय बदरी द्वारका जगद्गुरुजी के संपर्क में आया और उनके दर्शन कर श्री रामसेतु की सेवा कार्य के लिए आशीर्वाद लिया और अंततः श्री विद्यानंद भारती और ब्रह्मचारी श्रीराम (गोविंदनंद सरस्वती का पूर्वनाम) दोनों सर्वोच्च न्यायालय में सफल हुए और स्थगन आदेश प्राप्त किया। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राम सेतु की रक्षा के लिए 2007 की एक रिट याचिका (सिविल) संख्या 272, दंडी स्वामी श्री विद्यानंद बी जी मोन्क और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 28.05.2007 के द्वारा खारिज कर दिया था। रिकॉर्ड से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्रीराम शर्मा शर्मा उर्फ स्वामी गोविंदानंद सरस्वती कोई अन्य याचिकाकर्ता नहीं थे, बल्कि उक्त रिट याचिका में दूसरी याचिकाकर्ता दीक्षा मिश्रा थीं। सच्चाई यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने 2006 ई. से रामसेतु के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए रामलीला मैदान दिल्ली में एक बड़ी सभा सहित पूरे भारत में कई बैठकें आयोजित कीं। 2006-2007 के दौरान कई समाचार पत्रों में विशेष रूप से श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य और प्रतिनिधि के रूप में उल्लेख करते हुए कई समाचार प्रकाशित हुए। श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने रामसेतु के संरक्षण के लिए हिंदू धर्माचार्य सभा के साथ सह-याचिकाकर्ता के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी जो की खारिज हो गई थी।

8. जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर - बदरिकाश्रम हिमालय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने एक न्यास पत्र के द्वारा "ज्योर्तिमठ बदरिकाश्रम हिमालय"

नामक एक निजी न्यास का गठन किया जिसके वह एकमात्र न्यासी और संचालक थे। वह न्यास पत्र 1339 उप निबंधक (द्वितीय) इलाहाबाद के कार्यालय में फोटो स्टेट पनि पुस्तक संख्या 4 खंड 42 के पृष्ठ 381 से 390 पर दिनांक 29.09.1994 को रजिस्ट्रीकृत किया गया। उक्त न्यासपत्र के पैरा 6 में लिखा गया है कि -

"6. यह कि मैं संस्थापक न्यासी जिस व्यक्ति को जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर के रूप में मनोनीत करूंगा वही इस न्यास का न्यासी होगा और इस न्यास का संचालन उसी रीति से करेगा जिस रीति से मैं करता आया हूं।" ..

9. जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर - बदरिकाश्रम हिमालय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने उक्त निजी न्यास का एक खाता, खाता संख्या 0253101007476 केनरा बैंक की एम० डी० रोड शाखा, १२ एम०डी० रोड, कोलकाता 70007, पश्चिम बंगाल, भारत में खोला था जिसका संचालन करने वाले एकमात्र न्यासी थे।

10. जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी ने 13-15 अप्रैल 2003 को ब्रह्मचारी आनंदस्वरूप (पहले उमाशंकर पांडे के नाम से जाने जाते थे) को दंड संन्यास दिया और उन्हें नया नाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती दिया। तत्पश्चात ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने 12 सितंबर 2003 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के पक्ष में एक पंजीकृत/ निबंधित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करके उन्हें अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जो कि उप रजिस्ट्रार (द्वितीय) वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के कार्यालय में क्रमांक संख्या 355 पुस्तक संख्या IV खंड 07, पृष्ठ संख्या 165/170 में दिनांक 12 सितंबर, 2003 को रजिस्ट्रीकृत / निबंधित है। तब से महाराज श्री के ब्रह्मलीन होने तक तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, पूरे देश में उनके ज्योतिर्मठ - बदरिकाश्रम और उत्तर भारत के अन्य मठ, आश्रम और स्कूलों और अन्य संस्थानों के संबंध में अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की दंड संन्यास दीक्षा की खबर 18 अप्रैल 2003 को हिंदी साप्ताहिक सिवनी संकेत में प्रकाशित हुई थी।

11. जगतगुरु शंकराचार्य द्वयपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज दिनांक 11.09.2022 को ब्रह्मलीन हो गए। उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात उनकी वसीयत में दिए गए निर्देशों के अनुसार दिनांक 12.09.2022 को स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का जगतगुरु शंकराचार्य शारदामठ – द्वारका के पद पर तथा स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी महाराज का जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ – बदरिकाश्रम के पद पर लाखों लोगों की उपस्थिति में विधिविधान से अभिषेक व पट्टाभिषेक कर के उन्हें उनके पीठों का शंकराचार्य नियुक्त कर दिया गया।

12. ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपनन्द के पश्चात

उनके स्थान पर जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर बनने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरनन्द सरस्वती जी महाराज उक्त "ज्योर्तिमठ बदरिकाश्रम हिमालय" नामक न्यास के न्यास पत्र के अनुबंधों के अनुसार एकमात्र न्यासी तथा संचालक बन गए। और बाद मे उस खाता को नियमानुसार – ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य का मृत्यु प्रमाण पत्र, न्यासपत्र दिनांकित 29.09.1994 , पैन कार्ड ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम हिमालय, रेजिस्टर्ड वसीयत दिनांकित 01.02.2017, पैन एवं आधार कार्ड स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंदः सरस्वती दस्तावेजों को संगलग्न करते हुए कनारा बैंक, चौक शाखा, आनंद बाजार, गोदोलिया, चौक, वाराणसी -221001, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थानांतरित करवाने के लिए आवेदन किया जिसके फलस्वरूप खाते का स्थानांतरण कोलकाता से वाराणसी हो गया।

13. उक्त निजी न्यास के खाते को फ्रीज़ करवाने के लिए आरोपी संख्या 1, गोविंदनंद सरस्वती ने आरोपी संख्या 5 बैंक के मुख्यालय के अज्ञात अधिकारियों की मदद से ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम न्यास के उक्त खाते के विवरण को प्राप्त कर उनके सहयोग से आरोपी संख्या 4 और 3 से संपर्क किया और ईमेल के माध्यम से पत्राचार किया। फर्जी दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हुए छल द्वारा स्वयं को ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य के दंडी सन्यासी शिष्य के रूप मे प्रतिरूपीत करते हुए झूठे एवं गढ़े हुए साक्ष्यों के आधार पर प्रवंचित करते हुए उनको खाताधारक के साथ किये गए गोपनीयता के संविदा का पालन करने से विरत कर उक्त खाते को दिनांक 05 जून 2024 के दिन से फ्रीज़ करवा दिया। इतना हि नही खाते के फ्रीज़ करणे के संबंध मे किये गए गोपनीय पत्र व्यवहार को भी आरोपी संख्या 3 और 4 ने खाता संचालक की बिना जानकारी और अनुमति के स्वामी गोविंदनंद सरस्वती को उपलब्ध करवा दिया।

14. खाते के फ्रीज़ होने के पश्चात स्वामी गोविंदनंद सरस्वती आरोपी बैंक अधिकारियों के द्वारा प्राप्त ईमेल पत्र व्यवहार को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करते हुए व्यक्तव्य जारी किया जिसे विभिन्न समाचार पत्रों यथा – गढ़वाल समाचार, अमर उजाला, हिंदुस्तान आदि के 7 जून 2024 के संस्करणों मे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। उक्त समाचार पत्रों मे यह प्रकाशित किया गया की स्वामी गोविंदनंद सरस्वती ने बताया है की उन्होंने फर्जी ढंग से ट्रस्ट के खाते को स्थानांतरित करने की शिकायत 14 मई को बैंक अधिकारियों से की थी। कनारा बैंक कोलकाता की एम डी रोड शाखा की अधिकारियों ने जांच की। पता चला की जाली दस्तावेज (वसीयत) के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी हुई थी। तुरंत मामले को शिकायत और कानून विभाग को सौंप दिया गया। कोलकाता शाखा ने मामले को आगे की कारवाई के लिए वाराणसी चौक शाखा को स्थानांतरित कर दिया। गोविंदनंद ने बताया की स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पहले ही इस खाते से लगभग 60 लाख रुपए की राशि निकाल ली थी। कनारा बैंक चौक शाखा ने ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम हिमालय ट्रस्ट खाते को फ्रीज़ कर दिया है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरनन्द ने ट्रस्ट के खाते को

अपने नाम पर स्थानांतरित कर लिया था ।ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरनन्द सरस्वती पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर खाता ट्रांसफर कर 60 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है । इसी आशय के मानहानिपरक सामग्री स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने अपने फेसबुक हैन्डल पर पोस्ट कर दुष्प्रचार किया । इसी आशय का समाचार 07 जून 2024 को जनवार्ता समाचार मे भी प्रकाशित किया गया ।

15. कनारा बैंक के आरोपी अधिकारियों ने आपराधिक न्यास भंग करते हुए खाताधारक की गोपनीय जानकारी को ठग गोविंदनंद सरस्वती को उपलब्ध करा दिया और साथ ही उसको एक पत्र देकर उसके आपराधिक कार्यों मे भागीदारी करते हुए जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम, ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम न्यास की ख्याति को व्यापक क्षति और संपती हानि कारित किया । लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान किया । एक खास वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत किया उसके विरुद्ध अन्य वर्ग के मध्य घृणा और विद्वेष को फैलाया।

16. स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने बेईमानी से कपटयुक्त अभिकथन कर आरोपी बैंक अधिकारियों को यह विश्वास दिलाकर की न तो ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य वसीयत के द्वारा शंकराचार्य नियुक्त करने मे विश्वास रखते थे और न ही आदि शंकराचार्य के आम्नाय मठों की परंपरा मे वसीयत के द्वारा शंकराचार्य बनाए जाने की कोई प्रथा है , प्रवंचक, कपटी, छली, धोखेबाज गोविंदनंद ने उनसे रजिष्ट्रीकृत वसीयत को फर्जी मनवाकर खाते को फ्रीज करवा दिया। सक्षम न्यायालय के अतिरिक्त किसी को भी रजिष्ट्रीकृत वसीयत को फर्जी घोषित करने या मानने का अधिकार नहीं है ऐसे में आरोपी बैंक अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर और अपने संविदाजन्य वाणिज्यिक दायित्वों का निर्वहन न कर पद और स्थिति का दुरपयोग कर उक्त प्रभावित पीड़ितों को अपूर्णीय क्षति कारित किया है।

17. वास्तविकता यह है कि ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य शारदमठ – द्वारका के शंकराचार्य वर्ष 1982 में वसीयत के आधार पर ही बने थे । यही नहीं गोवर्धनमठ – पूरी के पूर्व जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज भी वर्ष 1964 में वसीयत के आधार पर ही शंकराचार्य बने थे।

18. उक्त प्रतिरूपण आरोपी क्रमांक । और उसके साथियों के बीच एक-दूसरे और अन्य अज्ञात के व्यक्तियों के साथ मिलीभगत और मिलीभगत से अवैध साधनों का उपयोग करके, जालसाजी और मनगढ़ंत तरीके से झूठे दस्तावेज बनाकर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल एप्लिकेशन में इसका प्रचार करके गहरी साजिश का परिणाम है, जबकि उन्हें पूरा ज्ञान है कि महास्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य की 01.02.2017 की वसीयत के आधार पर ज्योतिषपीठ/ज्योतिर्मठ-बदरिकाश्रम के अनंत श्री विभूषित

जगद्गुरु शंकराचार्य हैं, जिसे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (गुजरात विधायकों द्वारा संशोधित) और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट गुजरात नियम, 1961 के प्रावधानों के तहत पारित आदेश दिनांक 14.10.2022 द्वारा प्रभावी और मान्यता दी गई है। शारदामठ - द्वारका के संबंध में ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य के स्थान पर स्वामी सदानन्द सरस्वती के नाम में परिवर्तन के लिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चूंकि ऐसी कोई वैधानिक आवश्यकता और प्राधिकार नहीं है, इसलिए ऐसी मान्यता का प्रश्न ही नहीं उठता।

19. स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने अपने सहयोगियों और अन्य नामित व्यक्तियों के साथ जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठ / ज्योतिर्मठ - बदरिकाश्रम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के साथ-साथ विशेष रूप से अपने उक्त पवित्र मठ के प्रति निष्ठा रखने वाले धार्मिक हिंदू लोगों और बड़े पैमाने पर हिंदू जनता को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। इसके अलावा उन्होंने अन्य नामित और अज्ञात आरोपियों के साथ-साथ जनता के एक वर्ग को धोखा देने और चोट पहुंचाने के सामान्य इरादे से उकसाया, जिससे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती को लाभ पहुंचाने के लिए उक्त एचडीएम जेएस ज्योतिष्पीठ / ज्योतिर्मठ - बदरिकाश्रम के शरीर, मन और प्रतिष्ठा को हानि, हानि और नुकसान हो और तदनुसार एचडीएम जेएस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को नुकसान हो; यह इरादा रखते हुए कि उन जाली दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष्पीठ / ज्योतिर्मठ - बदरिकाश्रम के साथ-साथ ज्योतिष्पीठ / ज्योतिर्मठ और उसके शिष्यों, अनुयायियों और भक्तों को विशेष रूप से और बड़े पैमाने पर धार्मिक हिंदुओं को प्रतिरूपण, क्षति, चोट पहुंचाने, धोखा देने के उद्देश्य से किया जाएगा; उन दो पवित्र मठों और उनकी चल और अचल संपत्तियों पर दावे या शीर्षक का समर्थन करने के लिए, जिनमें एचडीएम जेएस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में मान्यता प्राप्त / दर्ज किया गया है। उपरोक्त सभी दस्तावेज जाली होने का जानते हुए और यह इरादा रखते हुए कि वीडियोग्राफी / वीडियो-रिकॉर्डिंग / वीडियो क्लिप सहित उक्त दस्तावेज / इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो उनके फेसबुक हैंडल पर पोस्ट किए गए हैं और धारा 467 आईपीसी में उल्लिखित विवरण के साक्षात्कार के रूप में दिए गए हैं, धोखे से या बेईमानी से वास्तविक के रूप में उपयोग किए जाएंगे।

20 . उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Writ Petition (Civil) No. 943/2021 में अपने दिनांक 28-04-2023 के आदेश के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आईपीसी की धारा 153ए, 153बी और 295ए और 505 आदि जैसे अपराधों से संबंधित मामलों में स्वतः एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। तत्पर संदर्भ के लिए उक्त आदेश का प्रासंगिक अंश यहां पुन: प्रस्तुत किया जा

रहा है:

> *'प्रतिवादी संख्या 9 से 36 यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई भाषण या कोई कार्रवाई होती है, जो आईपीसी की धारा 153ए, 153बी और 295ए और 505 आदि जैसे अपराधों को आकर्षित करती है, तो स्वतः संज्ञान लेकर मामले दर्ज किए जाएंगे, भले ही कोई शिकायत न हो और कानून के अनुसार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।*
>
> इसलिए प्रतिवादी संख्या 9 से 36 अपने अधीनस्थों को निर्देश जारी करेंगे ताकि जल्द से जल्द उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस निर्देश के अनुसार कार्य करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को इस न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

21. Criminal Appeal No. 2339 of 2023 , ए. श्रीनिवास रेड्डी बनाम राकेश शर्मा एवं अन्य में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दोहराया कि राष्ट्रीयकृत बैंक का एक प्रबंधक सीआरपीसी की धारा १९७ के लाभ का दावा कर सकता है या नहीं, यह प्रश्न अभिन्न नहीं है और माना कि "यद्यपि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में काम करने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक है, फिर भी सीआरपीसी की धारा १९७ के प्रावधान उस पर बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे क्योंकि धारा १९७ केवल उन मामलों में लागू होती है जहां लोक सेवक ऐसा हो जिसे सरकार की मंजूरी के बिना उसकी सेवा से हटाया नहीं जा सकता।"

22. ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर (2014) 2 एससीसी 1 में रिपोर्ट की गई, जैसा कि पैराग्राफ 19 में दिया गया है, यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस शिकायत में उल्लिखित शिकायतकर्ताओं को तुरंत एफआईआर के रूप में दर्ज करें और उपरोक्त संदर्भित अपराधी को पकड़ने और मुकदमा चलाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें।

23. स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.09.2022 को सी ए 3010/2020 में आई ए 140471/2022 और सी ए 3011/2020 में 140466/2022 आवेदनों को दायर कर निम्नलिखित दिशा-निर्देश की याचना की : -

"[ए] स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती या किसी अन्य को, जिसे मृत प्रतिवादी द्वारा नामित किया गया हो, ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक की पेशकश करने से रोकने और मृत प्रतिवादी द्वारा नियुक्त होने का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती या अन्य किसी भी व्यक्ति को शंकराचार्य के रूप में घोषित होने और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पट्टाभिषेक और ज्योतिर्मठ/ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य के रूप में छत्रदान और सिंहासन धारण करने सहित उस क्षमता में कोई अन्य कार्य करने से रोकने की कृपा करें।"

उक्त आवेदन की सुनवाई दिनांक 21.09.2022 को हुई। सुनवाई के प्रारंभ में ही जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह बताया गया कि ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर के स्थान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी महाराज दिनांक 12.09.2022 को ही जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ – बदरिकाश्रम के रूप में पदारूढ़ हो चुके हैं तब इस तथ्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिवल अपील संख्या 3010/2020 में पारित अपने आदेश दिनांकित 21.09.2022 में इस तथ्य को अंकित करते हुए स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती की उपर्युक्त प्रार्थना को न स्वीकार करते हुए जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरनन्द सरस्वती जी महाराज को इसे जवाब के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा जिसके अनुपालन में जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठ पीठाधीश्वर श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में अपने ज्योतिष्पीठ पर आसीन होने से संबंधित सच्चे तथ्यों को प्रमाणभूत अनेक दस्तावेजों को सलग्न करते हुए अपने जवाबी शपथ पत्र आईए संख्या 175182/2022 को 15.11.2022 दाखिल किया।

24. दिनांक 26.11.2022 को को शारदामठ -शृंगेरी में वहाँ के जगद्गुरु शंकराचार्य महासन्निधानम् महास्वामी भारतीतीर्थ जी महाराज ने अपने करकमलों से स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी महाराज का ज्योतिर्मठ / ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य के रूप में तथा स्वामी सदानन्द सरस्वती जी महाराज का शारदामठ / शारदापीठ – द्वारका के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेक कर उक्त दोनों नव नियुक्त जगद्गुरुओं की नियुक्ति की पुष्टि कर दिया। बाद में दिनांक 14.10.20122 को शारदामठ -द्वारका में शारदामठ -शृंगेरी के उत्तराधिकारी जगद्गुरु शंकराचार्य सन्निधानम् स्वामी विधुशेखर भारती जी ने उक्त दोनों नव नियुक्त जगद्गुरु शंकराचार्यों का सिंहासनारोहण और पट्टाभिषेक अपने कर कमलों से सम्पन्न किया।

25. स्वामी वसुदेवानन्द सरस्वती ने यह झूठ एवं भ्रामक अभिकथन करते हुए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरनन्द सरस्वती जी को तीन अन्य शंकराचार्यों में से एक भी ने मान्यता नहीं दी है और उनका पटाभिषेक अभी नहीं हुआ है 17 ऑक्टोबर 2022 को होने वाला है निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए 2020 के सी. ए. संख्या 3011 में दिनांक 12.10.2022 को एक और आवेदन 153943/2022 दायर किया। यथा : -

"[ए] कृपया बद्रीनाथ के ज्योतिषपीठ या किसी अन्य संगठन को स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती या किसी अन्य को ज्योतिष्पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य के रूप में नियुक्त करने के लिए 17.10.2022 को या उसके बाद कोई भी पट्टाभिषेक समारोह आयोजित करने से उपरोक्त अपीलों पर सुनवाई होने और निर्णय लेने तक रोकें।."

उस आवेदन में गोवर्धनमठ पुरी के शंकराचार्य का फर्जी गढ़ा हुआ एक आवेदन लगा कर माननीय न्यायालय के समक्ष यह कहा गया की वे स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी की जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठ के रूप में नियुक्ति को अस्वीकार करते हैं। उक्त आवेदन की सुनवाई 14.10.2022 को हुई जबकि जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठ स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी शरदमठ -द्वारका में धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त थे जिसके कारण उनकी ओर से कोई भी अधिवक्ता बहस करने नहीं पहुँच, फलस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती के झूठ पर विश्वास करते हुए उपर्युक्त प्रार्थना (ए) के अनुरूप अंतरिम आदेश पारित कर दिया जो कि निष्प्रयोज्य और निष्फल था क्यों कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी का जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठ के रूप में अभिषेक / पट्टाभिषेक/ सिंहसनारोहण सब कुछ उक्त आदेश 14.10.2022 के पारित होने के पूर्व ही सम्पन्न हो चुका था।

चूंकि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष झूठे अभिकथन किये थे और झूठे और मनगढ़ंत साक्ष्य दिए थे, इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के विरुद्ध आईपीसी, 1860 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने और उन्हें कानून के अनुसार दंडित करने के लिए उचित आदेश जारी करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सी.ए. संख्या 3010/2020 में आई.ए. 61856/2024 दिनांक 09.03.2024 को दायर किया है।।

26. सी ए संख्या 3010 /2020 व 3011/2020 में पक्षकार न होते हुए भी स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने महामहिम जगतगुरु शंकराचार्यों - 1. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, 2. स्वामी सदानंद सरस्वती, 3. भारती तीर्थ स्वामीजी, 4. श्री विधुशेखर भारती जी तथा 5. श्री सुबुद्धानंद ब्रह्मचारी, 6. डॉ. वी.आर. गौरी शंकर और 7. चंद्र प्रकाश उपाध्याय - के विरुद्ध अवमानना याचिका (सी) संख्या 65/2024 दायर की है।जिसमें स्वामी गोविंदनंद सरस्वती ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया कि 17.10.2022 को जोशी मठ में तीन जगतगुरु शंकराचार्यों द्वारा आयोजित कार्यक्रम दिनांकित 02-07-2018 और 21-09-2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के सी ए नंबर 3010 /2020 में पारित किये गए आदेशों का उल्लंघन था। जब गोविंदानंद सरस्वती के अधिवक्ता श्री पुष्पिन्दर सिंह ने माननीय न्यायालय से उक्त आवेदन को

सुनने का आग्रह किया तब माननीय नये मूर्ति बी आर गवई जी ने उन्हें फटकार लगते हुए कहा कि यह आवेदन पब्लिसिटी स्टन्ट है सुनवाई करून जिससे आपको मीडिया में पब्लिसिटी करने का मौका मिले। चुपचाप चले जाओ नहीं तो अभी इसे खारिज कर दूंगा।

चूंकि स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष झूठे बयान दिए थे और झूठे और मनगढ़ंत साक्ष्य दिए थे, इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर के रूप में एचडीएम महा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने स्वामी गोविंदानंद सरस्वती के खिलाफ आईपीसी, 1860 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने और उन्हें कानून के अनुसार दंडित करने के लिए उचित आदेश जारी करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सी.ए. संख्या 3010/2020 में आई.ए. 64152/2024 को दिनांक 12.03.2024 को दायर किया है।

इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और घटनाओं के आधार पर आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अपराधियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ऊपर संदर्भित धाराओं के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कर उन्हे दंडित करवाने हेतु त्वरित कार्यवाही करे तथा उनके द्वारा भविष्य में कारीत किये जाने वाले पूर्वोक्त संज्ञेय अपराधों को होने से रोकें।

भवदीय

राजेन्द्र प्रसाद मिश्र

आधार क्रमांक 493831768758

मुख्तार आम जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वजरिए पंजीकृत मुख्तारनामा , ई पंजीकरण संख्या MP268152022 A 41097931 दिनांक 03.11.2022 कार्यालय उप पंजीयक कार्यालय, गोटेगांव, नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश, भारत।

एवं

हितरक्षक ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम हिमालय, उत्तराखंड, भारत

वर्तमान निवासी : बी 6/97, श्री विद्यामठ पीतामबरपुरा,केदारघाट, वाराणसी.

दिनांक : 07.06.2024